R 672-I-17

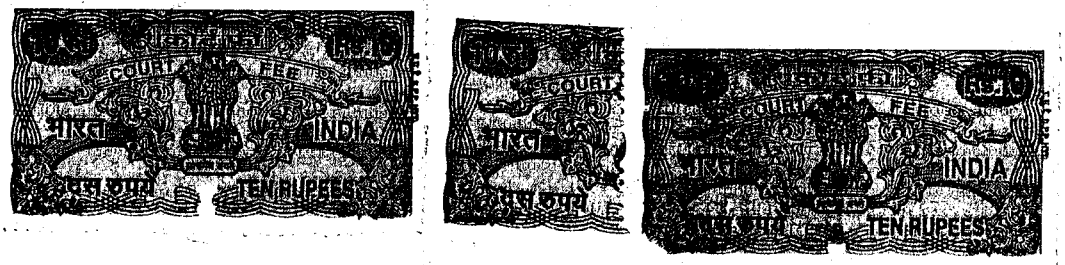

25/01/2017

समक्ष मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../............./..........................

विषय :– आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

– श्री कमल सिंह परस्ते उम्र लगभग 34 साल
पिता श्री जौहर सिंह परस्ते जाति (आदिवासी)
निवासी–ग्राम म.नं.119, देवरीकला पो.खुक्खम
तह. कुण्डम जिला जबलपुर

––– आवेदक

विरूद्व

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

–––– अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

मान्नीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **96**/अ–21/2016–17 में पारित **आदेश दि. 16/01/2017** से व्यथित होकर धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) तहत् यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आवेदक निगरानीकर्ता आदिवासी श्री कमल सिंह परस्ते उम्र लगभग 34 साल पिता श्री जौहर सिंह परस्ते जाति (आदिवासी) निवासी–ग्राम म.नं.119, देवरीकला पो.खुक्खम तह. कुण्डम जिला जबलपुर द्वारा **ग्राम घुघरी प.ह.नं. 11 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 353/2 एवं 341 रकवा क्रमशः 0.600 हे. एवं 2.600 हे. कुल रकवा 3.200 हे. भूमि**

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 672-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 96/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 2-1-17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की ग्राम घुघरी प.ह.नं. 11 रा.नि.मं. इगलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 353/2 एवं 341 रकबा क्रमशः 0.600 हैक्टर एवं 2.600 हैक्टर गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक 16-1-17 को पंजीबद्ध कर ग्राह्यता पर तर्क हेतु नियत किया गया है । कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है । आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को क्रय करने को तैयार नहीं है । आवेदक को कर्ज अदा करने आदि के कारण रूपयों की आवश्यकता है । आवेदक की भूमि विक्रय करने के संबंध	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	में बात गैर आदिम जनजाति के कुछ व्यक्तियों से चल रही है परंतु वे अनुमति मिलने के उपरांत ही उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है, उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदक द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनसे यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास विक्रय हेतु आवेदित भूमि के अतिरिक्त ग्राम विसनपुरा एवं इमलई में 4.40 हैक्टर भूमि और शेष बच रही है जो उसके जीवनयापन के लिए पर्याप्त है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा संहिता की धारा 165 (6) के तहत भूमि विक्रय की अनुमति चाही गई है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए आवेदक द्वारा जो आधार दिए गए हैं वे भूमि विक्रय की अनुमति देने हेतु पर्याप्त हैं । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए इस प्रकरण में आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम घुघरी प.ह. नं. 11 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 353/2 एवं 341 रकबा क्रमशः 0.600 हैक्टर एवं 2.600 हैक्टर गैर आदिम जनजाति के सदस्य को को निम्न शर्तों के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :- 1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 672-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	2- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	